

# कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला-बीजापुर (छ0ग0)

क्रमांक / 1185 / कले0 / भू0अ0शा0 / 2020

बीजापुर, दिनांक 23/06/2020

## —:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::—

विषय:- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के बीजापुर वनमंडल इन्द्रावती टाइगर रिजर्व अन्तर्गत भैरमगढ़ एवं उसूर ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि 0.103 हे0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र "सी0ई0ओ0 छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर" के नाम प्रदान करने विषयक अनुरोध।

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर (छ0ग0) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत बीजापुर वनमंडल इन्द्रावती टाइगर रिजर्व अन्तर्गत भैरमगढ़ एवं उसूर ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग में समानांतर वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है:-

क्रमांक	तहसील	ग्राम	कक्ष क0 / ख0क0	प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे0)	मद (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कैफियत
1	भैरमगढ़	करकेली	37	0.075	अन्य वन	
2	भैरमगढ़	करकेली	194	0.024	अन्य वन	
3	भैरमगढ़	केतुलनार	202	0.004	बड़ झाड़ के जंगल	
योग:-			03	0.103		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े/अन्य झाड़ के जंगल में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास का प्रभावित नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

  
कलेक्टर  
जिला बीजापुर  
जिला बीजापुर

**FORM-II**  
*(for projects other than linear projects)*  
**Government of Chhattisgarh**  
Office of the District Collector BIJAPUR

\*\*\*\*

No. 1184Dated 23/06/2020

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.777 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. (name of user agency) for laying optical Fiber Cable for BharatNet Project (purpose for diversion of forest land) in Bijapur district falls within jurisdiction of Bhairamgarh and Usoor Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.777 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**
- (f) The Proposal does not involve recognize of Primitive Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (A part of Digital India).

(RITESH KUMAR AGRAWAL)

COLLECTOR  
DISTRICT BIJAPUR  
**Collector**  
**Distt.- Bijapur**